



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

No. 98]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2007/वैशाख 7, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2007/VAISAKHA 7, 1929

केन्द्रीय विष्वत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2007

सं. एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी.—केन्द्रीय विष्वत विनियामक आयोग, विष्वत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस नियम साधारणकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सभी पूर्ण प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विष्वत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल विनियम” कहा जाता है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विष्वत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 है।

(2) ये विनियम 30 अप्रैल, 2007 के 00:00 घण्टे से प्रवृत्त होंगे।

3. विभिन्न 24 का संशोधन.—यथासंशोधित मूल विनियम के विनियम 24 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
“24. अनुसूचित विनियम (यू.आई.) प्रभार.—(1) वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित उत्पादन या अनुसूचित निकासी के बीच होने वाले अंतर की गणना अनुसूचित विनियम (यू.आई.) प्रभारों के माध्यम से की जाएगी। उत्पादन के लिए यू.आई. इसके वास्तविक उत्पादन के बराबर होगा या इसके अनुसूचित उत्पादन से कम होगा। फायदाप्राप्ति के लिए यू.आई. इसकी कुल वास्तविक निकासी के बराबर होगा या इसकी कुल अनुसूचित निकासी से कम होगा। यू.आई. प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के लिए निकाला जाएगा। सभी यू.आई. संव्यवहारों के लिए प्रभार समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर आधारित होने और निम्नलिखित दरें लागू होंगी :

समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचजेड)

यू.आई.

निम्नलिखित से नीते	निम्नलिखित से कम नहीं	(प्रति केडल्पूर्ष)
1	2	3
—	50.50	0.0
50.50	50.48	6.0
50.48	40.46	12.0
—	—	—
—	—	—
49.84	49.82	204.0
49.82	49.80	210.0
49.80	49.78	219.0

1	2	3
49.78	49.76	228.0
—	—	—
—	—	—
49.54	49.52	336.0
49.52	49.50	345.0
49.50	49.48	361.0
49.48	49.46	377.0
—	—	—
—	—	—
49.04	49.02	729.0
49.02	—	745.0

(प्रत्येक 0.02 एचजे१ स्टेप 50.5-49.8 एचजे१ फ्रिक्वेंसी रेज में 6.00 पैसे/केडब्ल्यूएच, 49.8-49.5 एचजे१ फ्रिक्वेंसी रेज में 9.00 पैसे/केडब्ल्यूएच और 49.5-49.0 एचजे१ फ्रिक्वेंसी रेज में 16.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के बराबर हैं)।

टिप्पण :

- (1) उपरोक्त औसत फ्रिक्वेंसी रेज और यू.आई. दरें आयोग द्वारा पृथक् अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तन के अध्यधीन हैं।
- (2) (i) 15 मिनट के किसी समय ब्लाक में घोषित क्षमता के 105 प्रतिशत तक किसी उत्पादन और संपूर्ण दिन की औसत घोषित क्षमता की 101 प्रतिशत तक की औसतता का गेमिंग के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा और उत्पादक अनुसूचित उत्पादन से ऊपर ऐसे अधिक उत्पादन के लिए यू.आई. प्रभारों का हकदार होगा।
- (ii) विहित सीमा से परे किसी भी उत्पादन के लिए, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अन्वेषण करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यहाँ कोई गेमिंग नहीं है, यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कोई भी गेमिंग पाई जाती है तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन केन्द्र को देय तत्पात्री यू.आई. प्रभारों में शून्य तक को कमी को जगेगी और रकम को फायदाग्राहियों के यू.आई. खाते में उत्पादन केन्द्र में उनकी क्षमता अंश में समायोजित किया जाएगा।"

8. विनियम 42 का संशोधन.—यथासंशोधित मूल विनियम के विनियम 42 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अधारतः :-

"42. अनुसूचित विनियम (यू.आई.) प्रभार.—(1) वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित उत्पादन या अनुसूचित निकासी के बीच होने वाले अंतर की गणना अनुसूचित विनियम (यू.आई.) प्रभारों के माध्यम से की जाएगी। उत्पादन केन्द्र के लिए यू.आई. इसके वास्तविक उत्पादन के बराबर होगा या इसके अनुसूचित उत्पादन से कम होगा। फायदाग्राही के लिए यू.आई. इसकी कुल वास्तविक निकासी के बराबर होगा या इसकी कुल अनुसूचित निकासी से कम होगा। यू.आई. प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के लिए निकाला जाएगा। सभी यू.आई. संव्यवहारों के लिए प्रभार समय-समय की औसत फ्रिक्वेंसी पर आधारित होंगी और निम्नलिखित दरें लागू होंगी :

समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचजे१)		यू.आई. दर (पैसा प्रति केडब्ल्यूएच)
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से कम नहीं	3
1	2	
—	50.50	0.0
50.50	50.48	6.0
50.48	40.46	12.0
—	—	—
—	—	—
49.84	49.82	204.0
49.82	49.80	210.0
49.80	49.78	219.0

1	2	3
49.78	49.76	228.0
—	—	—
49.54	49.52	336.0
49.52	49.50	345.0
49.50	49.48	361.0
49.48	49.46	377.0
—	—	—
49.04	49.02	729.0
49.02	—	745.0

(प्रत्येक 0.02 एक्जेड स्टेप 50.5-49.8 एक्जेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 6.00 पैसे/केल्डब्ल्यूएच, 49.8-49.5 एक्जेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 9.00 पैसे/केल्डब्ल्यूएच और 49.5-49.0 एचजेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 16.0 पैसे/ केल्डब्ल्यूएच के बराबर है)

टिप्पण :

- (1) उपरोक्त औसत फ्रिक्वेंसी रेंज और यू.आई. दरें आयोग द्वारा पुष्टक अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तन के अध्यधीन है।
- (2) (i) 15 मिनट के किसी समय ब्लाक में घोषित क्षमता के 105 प्रतिशत तक किसी उत्पादन और संपूर्ण दिन की औसत घोषित क्षमता की 101 प्रतिशत तक की औसतता का गोमिंग के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा और उत्पादक अनुसूचित उत्पादन से ऊपर ऐसे अधिक उत्पादन के लिए यू.आई. प्रभारों का हकदार होगा।
- (ii) विहित सीमा से परे किसी भी उत्पादन के लिए, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अव्यवण करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यहां कोई गोमिंग नहीं है, यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कोई भी गोमिंग पाई जाती है तो ऐसे अविभिन्न उत्पादन के कारण उत्पादन केन्द्र को देय तत्पस्थानी यू.आई. प्रभारों में शून्य तक की कमी की जाएगी और रकम को फायदाप्राप्तियों के यू.आई. खाते में उत्पादन केन्द्र में उनकी क्षमता अंश में समायोजित किया जाएगा।”

के. एस. ढंगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन III/IV/असा./150/07]

पाद टिप्पण।—मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4 में तारीख 29-3-2004 को अधिसूचित किए गए थे और समय-समय पर निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :

- (i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4, तारीख 9-9-2004 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2004।
- (ii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4, तारीख 25-8-2005 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2005।
- (iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4, तारीख 8-6-2006 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2006।
- (iv) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4, तारीख 14-3-2007 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2007।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2007

No. L-7/25(5)/2003-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory

Commission hereby makes the following regulations to further amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2004, hereinafter referred to as "the principal regulations", namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2007.

(2) These regulations shall come into force with effect from 00.00 hours of 30th April, 2007.

2. Amendment of Regulation 24.—Regulation 24 of the principal regulations, as amended, shall be substituted as under, namely : ..

"24. **Unscheduled Interchange(UI) Charges.**—(1) Variation between actual generation or actual drawal and scheduled generation or scheduled drawal shall be accounted for through Unscheduled Interchange (UI) Charges. UI for a generating station shall be equal to its actual generation minus its scheduled generation. UI for a beneficiary shall be equal to its total actual drawal minus its total scheduled drawal. UI shall be worked out, for each 15-minute time block. Charges for all UI transactions shall be based on average frequency of the time block and the following rates shall apply :

Below	Average frequency of time block (Hz)		UI Rate (Paise per kWh)
	1	Not below	
—	50.50	50.50	0.0
50.50	—	50.48	6.0
50.48	—	50.46	12.0
—	—	—	—
—	—	—	—
49.84	—	49.82	204.0
49.82	—	49.80	210.0
49.80	—	49.78	219.0
49.78	—	49.76	228.0
—	—	—	—
—	—	—	—
49.54	—	49.52	336.0
49.52	—	49.50	345.0
49.50	—	49.48	361.0
49.48	—	49.46	377.0
—	—	—	—
—	—	—	—
49.04	—	49.02	729.0
49.02	—	—	745.0

(Each 0.02 Hz step is equivalent to 6.0 paise/kWh in the 50.5-49.8 Hz frequency range, to 9.0 paise/kWh in the 49.8-49.5 Hz frequency range, and to 16.0 paise/kWh in the 49.5-49.0 Hz frequency range.)

- Note :**
- (1) The above average frequency range and UI rates are subject to change through a separate notification by the Commission.
 - (2) (i) Any generation up to 105% of the declared capacity in any time block of 15 minutes and averaging up to 101 % of the average declared capacity over a day shall not be construed as gaming, and the generator shall be entitled to UI charges for such excess generation above the scheduled generation (SG).

(ii) For any generation beyond the prescribed limits, the Regional Load Despatch Centre shall investigate so as to ensure that there is no gaming, and if gaming is found by the Regional Load Despatch Centre, the corresponding UI charges due to the generating station on account of such extra generation shall be reduced to zero and the amount shall be adjusted in UI account of beneficiaries in the ratio of their capacity share in the generating station."

3. Amendment of Regulation 42: Regulation 42 of the principal regulations, as amended, shall be substituted as under, namely :—

"42. Unscheduled Interchange(UI) Charges.—(1) Variation between actual generation or actual drawal and scheduled generation or scheduled drawal shall be accounted for through Unscheduled Interchange (UI) Charges. UI for a generating station shall be equal to its actual generation minus its scheduled generation. UI for a beneficiary shall be equal to its total actual drawal minus its total scheduled drawal. UI shall be worked out for each 15-minute time block. Charges for all UI transactions shall be based on average frequency of the time block and the following rates shall apply :

Below	Average frequency of time block (Hz)		UI Rate (Paise per kWh)
	1	2	
—	50.50	—	0.0
50.50	—	50.48	6.0
50.48	—	50.46	12.0
—	—	—	—
49.84	—	49.82	204.0
49.82	—	49.80	210.0
49.80	—	49.78	219.0
49.78	—	49.76	228.0
—	—	—	—
49.54	—	49.52	336.0
49.52	—	49.50	345.0
49.50	—	49.48	361.0
49.48	—	49.46	377.0
—	—	—	—
49.04	—	49.02	729.0
49.02	—	—	745.0

Each 0.02 Hz step is equivalent to 6.0 paise/kWh in the 50.5-49.8 Hz frequency range, to 9.0 paise/kWh in the 49.8-49.5 Hz frequency range, and to 16.0 paise/kWh in the 49.5-49.0 Hz frequency range.)

- Note :**
- (1) The above average frequency range and UI rates are subject to change through a separate notification by the Commission.
 - (2) (i) Any generation up to 105% of the declared capacity in any time block of 15 minutes and averaging up to 101 % of the average declared capacity over a day shall not be construed as gaming, and the generator shall be entitled to UI charges for such excess generation above the scheduled generation (SG).

- (ii) For any generation beyond the prescribed limits, the Regional Load Despatch Centre shall investigate so as to ensure that there is no gaming, and if gaming is found by the Regional Load Despatch Centre, the corresponding UI charges due to the generating station on account of such extra generation shall be reduced to zero and the amount shall be adjusted in UI account of beneficiaries in the ratio of their capacity share in the generating station."

K. S. DHINGRA, Chief (Law)

[ADVT-III/IV/Exty/150/07]

Note : The principal regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) Part III, Section 4 on 29-3-2004 and were amended from time to time as under :

- (i) Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2004, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 dated 9-9-2004
- (ii) Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2005, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 dated 25-8-2005
- (iii) Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2006, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 dated 8-6-2006
- (iv) Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Amendment) Regulations, 2007, notified in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 dated 14-3-2007.